उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

—::— नो टि स —::—

क्रमांक डी/5330 / जबलपुर, दिनांक 04 / दिसम्बर, 2020

पांच–3–12/57 भाग–आवंटन

प्रति,

श्री रूपेश सिंह रघुवंशी,
न्यायिक सहायक,
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
ज ब ल पु र (म0प्र0)।

विषय :— उच्च न्यायालय पूल के शंकर शाह नगर, जबलपुर स्थित शासकीय आवासगृह क्रमांक "एच–87" को रिक्त करने के संबंध में ।

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि आपको रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक सी/2494 दिनांक 07.09.2007 के माध्यम से विषयांकित शासकीय आवासगृह को आपके निवास हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन आवंटित किया गया था ।

उच्च न्यायालय पूल के शासकीय आवासगृहों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप प्रश्नीय शासकीय आवासगृह में विगत एक वर्ष से निवासरत नही है एवं आपको आवंटित उक्त शासकीय आवासगृह में विद्युत कनेक्शन विच्छेदित पाया गया है तथा विद्युत मीटर जों कि आवासगृह के बाहर ही विद्युत मंडल के द्वारा संस्थापित किया जाता है, नही पाया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उच्च न्यायालय पूल के शंकर शाह नगर, जबलपुर स्थित शासकीय आवासगृह क्रमांक "एच–87" को तत्काल रिक्त करते हुये उसका आधिपत्य लोक निर्माण विभाग के शंकर शाह नगर अनुभाग को सौंपते हुये इस रजिस्ट्री को अवगत कराऐं ।

04.12.2020
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

पृष्ठांकन क्रमांक डी/5331 / जबलपुर, दिनांक 04 / दिसम्बर, 2020

पांच–3–12/57 भाग–आवंटन

प्रतिलिपि :—

1/ असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना/ कार्य), उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर
2/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग क्रमांक–02, जबलपुर,
3/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि/यां.) जबलपुर
4/ उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) , शंकर शाह नगर, जबलपुर,
5/ उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) , कटंगा सेक्शन, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

04.12.2020
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)